न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 1709–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–2012 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर अपील प्रकरण कमांक आर.ई.सी. /07/2010–11.

.....

मेसर्स ग्वालियर अल्कोहल प्रायवेट लिमिटेड फार्मली
मेसर्स ग्वालियर डिस्टलर्स लिमिटेड
ए.बी. रोड, रायरू फार्म, ग्वालियर
द्वारा जनरल मैनेजर पी.वी. मुरलीधरन
पुत्र व्ही.व्ही.एस. नाम्बीशान
निवासी ग्वालियर एल्कोहल प्राय. लिमिटेड
ए.बी. रोड, रायरू, रायरू फार्म ग्वालियर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

2– म.प्र. शासन द्वारा आबकारी आयुक्त
मोतीमहल, ग्वालियर .....प्रत्यर्थी

श्री आशीष शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री डी.के. शुक्ला, शासकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 नवम्बर, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सहायक आबकारी आयुक्त, ग्वालियर द्वारा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर को इस आशय का पत्र कमांक आब./मु.लि./08–09/180 दिनांक 17–1–2009 लिखा गया कि सी.ए.जी. के प्रतिवेदन की कंडिका 3.6 जो कि निरीक्षण अवधि 12/98 से 2/2000 की कंडिका कमांक 4 से

संबंधित है, जिसमें महालेखाकार द्वारा अपीलार्थी इकाई के द्वारा 172 निर्यात परमिट से एवं रायरू डिस्टलरीज लिमिटेड रायरू के 6 परमिटों से दिसम्बर, 1998 एवं फरवरी, 2000 के मध्य अन्य राज्यों को निर्यात किए गए शोधित प्रसाव/अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल में 3012.8 प्रुफ लीटर मार्ग हानि पाई गई है, जिसमें 30/– रूपये प्रति प्रुफ लीटर की दर से 9,03,624/– रूपये शास्ति वसूली आकलित किया गया है, किन्तु तत्समय जिला आबकारी अधिकारी आसवनी रायरू द्वारा शास्ति लगाने हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर को नहीं भेजा जाकर उसका उत्तर इस प्रकार दिया गया था कि म.प्र. आसवनी नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में आसवनी नियम कहा जायेगा) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावशील है, राज्य में परिवहन की मोक निर्धारित है । निर्यात परमिट निर्यात शुल्क जमा होने के उपरांत ही जारी किया जा सकता है, इसमें म.प्र. शासन को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है । उक्त उत्तर के कारण उपरोक्त कंडिका का निराकरण आज दिनांक तक नहीं हो पाया है । आसवनी नियमों के नियम 8 (4) के अनुसार नियम 6 के अधीन निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक हानि पर 30/– रूपये प्रति प्रुफ लीटर से अनधिक शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है । अतः निर्धारित मार्ग हानि से अधिक हुई मार्ग हानि पर शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाये । उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़दस्ता, ग्वालियर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 14–10–2009 को आदेश पारित कर निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि 29,367,0 प्रुफ लीटर पर 30/– रूपये प्रति प्रुफ लीटर की दर से 8,81,010/– की शास्ति अधिरोपित की गई । तत्पश्चात अपीलार्थी इकाई द्वारा उपायुक्त आबकारी को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसे समक्ष में सुनवाई हेतु अवसर दिया जाये । अपीलार्थी इकाई के आवेदन पत्र के तारतम्य में उपायुक्त आबकारी द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 12–3–2010 नियत की जाकर अपीलार्थी इकाई को पत्र कमांक 350 दिनांक 5–3–2010 से सूचना दी गई एवं पुनः समक्ष में सुनवाई हेतु दिनांक 31–3–2010 नियत कर पत्र कमांक 444 दिनांक 23–3–2010 से सूचना दी गई, परन्तु दोनों तिथियों पर अपीलार्थी इकाई की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए, अतः उपायुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 29–4–2010 को आदेश पारित कर पूर्व आदेशानुसार 8,81,010/– रूपये शास्ति अधिरोपित की गई । उपायुक्त आबकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी

इकाई द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 7–5–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 1709–पीबीआर/12 पर दर्ज हुई । उक्त अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–3–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कमांक 2973/2013 प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19–11–2013 को आदेश पारित कर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 4–3–2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनर्विचार किया जाये, और आदेश की प्रति प्राप्त होने के 2 माह के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जाये । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस अपील पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

3/ प्रकरण में दिनाक 13–11–2014 को अपीलार्थी इकाई की ओर से श्री आशीष शर्मा, अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2 माह में प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये गये हैं, इसलिए प्रकरण के निराकरण में और अधिक विलम्ब करना उचित नहीं है । अतः प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया । अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लिखित आधारों पर एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अपीलार्थी इकाई निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मार्ग हानि ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई है, जो कि अपीलार्थी इकाई के नियंत्रण के बाहर थी ।

(2) निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए अपीलार्थी इकाई पर अधिरोपित शास्ति अवैधानिक एवं अनियमित है ।

(3) स्प्रिट/ई.एन.ए. मानव के लिए उपयोगी नहीं होती है, इसी कारण स्प्रिट/ई.एन.ए.

पर किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होती है, इसलिए स्प्रिट/ई.एन.ए. की हानि पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है ।

(4) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 6 (ए) के अनुसार स्प्रिट आबकारी कर योग्य वस्तु नहीं है, इसलिए अपीलार्थी इकाई से ड्यूटी/पैनल्टी वसूल नहीं की जा सकती है ।

(5) जब किसी व्यक्ति को वास्तव में कोई नुकसान होता है, तब नुकसान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से शास्ति वसूल की जा सकती है । इस प्रकरण में स्प्रिट के लीक होने से शासन को वास्तविक रूप से कोई हानि नहीं हुई है, इस कारण अपीलार्थी इकाई पर अधिरोपित शास्ति अवैधानिक है ।

(6) अपीलार्थी इकाई को जिस समय लायसेंस प्रदान किया गया है, उस लायसेंस में इस प्रकार की कोई शर्त सम्मिलित नहीं थी।

(7) दिनांक 14–10–2009 में 29,367,0 प्रुफ लीटर स्प्रिट की हानि दर्शाई गई है । उक्त हानि की गणना अपीलार्थी इकाई के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में मनमाने तरीके से पूर्णतः त्रुटिपूर्ण की गई है ।

(8) अपीलार्थी इकाई पर 30/– रूपये प्रति प्रुफ लीटर की दर से शास्ति अधिरोपण किए जाने का कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । 30/– रूपये प्रति प्रुफ लीटर से शास्ति अधिरोपण करने हेतु आबकारी विभाग को किसी वैधानिक नियम एवं परिपत्र के द्वारा शक्तियां प्रदान नहीं की गई है ।

(9) अधिनियम में आबकारी विभाग को शास्ति अधिरोपण करने संबंधी कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, अतः अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों में भी शास्ति अधिरोपण किए जाने का प्रावधान नहीं किया जा सकता है । अतः उपरोक्त आधार के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

(10) दिनांक 14–10–2009 में दिसम्बर, 1998 से 2000 तक की अवधि में हुई मार्ग हानि के लिए शास्ति अधिरोपित की गई है, अतः अत्यधिक विलम्ब से कार्यवाही किए जाने कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

(11) दिनांक 20–3–2010 एवं 31–3–2010 को नियत पेशी पर सुनवाई हेतु अपीलार्थी इकाई पर कोई नोटिस तामील नहीं कराई गई है ।

(12) आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की ओर से उठाए गए आधारों पर कोई विचार नहीं किया गया है, अतः आबकारी आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1972 J.L.J 360 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस द्वितीय अपील में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । उपायुक्त आबकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा दिसम्बर, 1998 से फरवरी 2000 तक 172 परमिटों पर स्प्रिट/ई.एन.ए. का निर्यात किया गया है, जिसमें आसवनी नियम के नियम 6 (4) के अंतर्गत निर्धारित मार्ग हानि से 29,367,0 प्रुफ लीटर अधिक मार्ग हानि हुई है । इस संबंध में महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा निरीक्षण अवधि 12/98 से 2/2000 तक की निरीक्षण टीप के संदर्भ में सी.ए.जी की कंडिका कमांक 3.6 के अनुसार निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित मार्ग हानि से अधिक हुई मार्ग हानि 29,367,0 प्रुफ लीटर के लिए 8,81,010/– रूपये शास्ति की गणना कर वसूली होना बताया गया है । इस संबंध में उपायुक्त आबकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी इकाई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, और उसके सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 14–10–2009 को आदेश पारित कर निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक हानि 29,367,0 प्रुफ लीटर पर 30/– रूपये प्रति प्रुफ लीटर की दर से 8,81,010/– रूपये शास्ति अधिरोपित की गई । तत्पश्चात अपीलार्थी इकाई द्वारा उपायुक्त आबकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर समक्ष में सुनवाई का अनुरोध किया गया, और उपायुक्त आबकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई को पत्र जारी कर दिनांक 12–3–2010 एवं 31–3–2010 को दो बार सुनवाई हेतु तिथि नियत कर सूचना दी गई, परन्तु उपरोक्त दोनों तिथियों पर भी अपीलार्थी इकाई की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उपायुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 29–4–2010 को आदेश पारित कर पूर्व आदेशानुसार 8,81,010/– रूपये शास्ति अधिरोपित की गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि उपायुक्त आबकारी का

आदेश दिनांक 29–4–2010 विधिसंगत आदेश है अतः उसकी पुष्टि की जाकर प्रथम अपील निरस्त करने में आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अपीलार्थी इकाई की ओर से अपील मेंमों में उठाया गया यह आधार कि निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक हानि अपरिहार्य परिस्थितियों में हुई है, जो कि अपीलार्थी इकाई के नियंत्रण के बाहर थी, इसलिए अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती, मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी इकाई द्वारा उपायुक्त आबकारी सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक हानि अपरिहार्य कारणों से हुई है । अपील मेमों में उठाया गया यह आधार भी अमान्य किए जाने योग्य है कि चूंकि शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है, क्योंकि आसवनी नियमों के नियम 6 (4) में मार्ग हानि की सीमा निर्धारित की गई है, और नियम 8(4) में निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि के लिए शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रावधान किया गया है । स्पष्टतः अपीलार्थी इकाई द्वारा आसवनी नियमों के नियम 6(4) का उल्लंघन किया गया है, इसलिए उपायुक्त आबकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है । अपील मेमों में उठाया गया यह आधार भी उचित नहीं है कि स्प्रिट/ई.एन.ए. मानव के लिए उपयोगी नहीं होती है, इसलिए उस पर कर देय नहीं होने से शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है, क्योंकि यद्यपि स्प्रिट सीधे मानव के लिए उपयोगी नहीं होती है, परन्तु उससे निर्मित मदिरा मानव उपयोग की होती है । अतः अप्रत्यक्ष रूप से स्प्रिट भी उपयोग उपयोग के लिए होना ठहराया जाता है । उपरोक्त कारण से अपीलार्थी इकाई को अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 6 (ए) का लाभ नहीं मिल सकता है । अपील मेमों का यह आधार भी निरस्ती योग्य है कि जिस समय लायसेंस प्रदाय किया गया था, उस समय लायसेंस में इस प्रकार की कोई शर्त सम्मिलित नहीं थी, कारण जहां अधिनियम एवं नियमों में स्पष्ट प्रावधान हों, वहां लायसेंस में शर्त उल्लेखित नहीं होना महत्वहीन है । अपील मेमों में उठाया गया यह आधार कि गंतव्य स्थान पर मार्ग हानि की गणना अपीलार्थी इकाई के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में मनमाने तरीके से की गई है, भी मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी इकाई की ओर से उक्त तर्क के समर्थन में इस प्रकार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी इकाई के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में मार्ग हानि की

गणना की गई है । इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलार्थी इकाई का यह दायित्व है कि गंतव्य स्थान पर स्प्रिट पहुंचने पर वह उपस्थित रहकर गणना करवाये । अपील मेमों उठाया गया यह आधार भी अनुचित है कि 30/– रूपये प्रति प्रुफ लीटर की दर से शास्ति अधिरोपित करने हेतु आबकारी विभाग को किसी प्रकार की शक्तियां वैधानिक नियम एवं परिपत्र द्वारा प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि इस संबंध में अधिनियम एवं आससवनी नियमों में स्पष्टतः आबकारी विभाग को शास्ति अधिरोपित करने की शक्तियां प्रदान की गई है । जहां तक अपील मेमों में उठाया गया इस आधार का प्रश्न है कि अधिनियम में शास्ति अधिरोपित का प्रावधान नहीं होने से उसके अंतर्गत बने नियमों में भी शास्ति अधिरोपण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है, इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान शासन स्तर से किया जाता है । अपीलार्थी इकाई द्वारा उठाए गए इस आधार से कि अत्यधिक विलम्ब से वर्ष 1998 से 2000 तक की अवधि पर हुई मार्ग हानि पर विचार कर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है, उसे लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि का निराकरण महालेखाकार के निरीक्षण दल एवं सी.ए.जी. की रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होने के कारण प्रकरण के निराकरण में विलम्ब हुआ है । जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि उपायुक्त आबकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा उपस्थित होकर पक्ष समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए इस संबंध में उठाया गया आधार भी अमान्य किए जाने योग्य है । उपरोक्त विश्लेषण के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी इकाई की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत विचारणीय नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2012 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर